



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली देहात

दिनांक 30.08.2023

**थाना कोतवाली देहात द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 228/23 धारा 323/504/506
भादवि में वांछित अभियुक्त को एक अवैध तमंचा 315 बोर सहित किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.08.2023 को वादी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह निवासी ग्राम हीमपुर मानक थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि हिमांशु पुत्र साकेन्द्र निवासी दायम नगला थाना कोतवाली देहात बिजनौर व विशु पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम हीमपुर मानक थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा उसके साथ मारपीट की गई तथा अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त ने उसके ऊपर तमंचा तानते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 228/23 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया ।



कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद अपराध व अपराधियों व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.08.2023 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 228/23 धारा 323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त हिमांशु पुत्र साकेन्द्र निवासी ग्राम दायमनगला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । अभियोग में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- हिमांशु पुत्र साकेन्द्र निवासी ग्राम दायमनगला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1- उ0नि0 विजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- मुख्य आरक्षी 427 नवीन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 3- मुख्य आरक्षी 429 योगेन्द्र राठी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

थाना चांदपुर पुलिस व आबकारी टीम ने अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.08.2023 को थाना चांदपुर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा अभियुक्त राजेंद्र पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 15 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 622/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजेंद्र पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण:-

15 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. आरक्षी 1093 नवनीत कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 1879 हिमांशु भडाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. आबकारी प्रधान आरक्षी बुद्धेश कुमार।
4. आबकारी प्रधान आरक्षी आसाराम।
5. आबकारी आरक्षी गौरव कुमार।

थाना नांगल पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.08.2023 को थाना नांगल पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु०अ०सं० 110/23 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर अधि० में वांछित अभियुक्त देव उर्फ भोले पुत्र जागनसिंह निवासी मौ० बडतला थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

देव उर्फ भोले पुत्र जागनसिंह निवासी मौ० बडतला थाना नांगल जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1-मु०अ०सं० 24/2023 धारा 364/506/364ए/307/420/465/467/471/34/75 भादवि व धारा 3/25 शस्त्र अधि० व धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 2-मु०अ०सं० 110/23 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थानाध्यक्ष श्री अशोक कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
- 2.उ०नि० उमेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
- 3.हे०का० 549 विकास थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
4. का० 360 शाने आलम थाना नांगल जनपद बिजनौर ।